

जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

॥ ज्ञापन ॥

क्रमांक / 3616 / सू.का.अधि. / 2021  
प्रति,

जांजगीर, दिनांक 5/3 / 2021

जन सूचना अधिकारी

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (तागा)

तहसील अकलतरा

जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

DGM (HR/E)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

\*\*\*\*\*

आवेदक श्री सुरेश कुमार तिवारी पिता श्री भैरव प्रसाद तिवारी ग्राम तागा तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2021 एवं 10 का स्टाम्प मूल प्रति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदन पत्र आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र एवं स्टाम्प पेपर की मूल प्रति सहित मूलतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आपकी ओर हस्तांतरित किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुरूप यह आवेदन आपको आवेदन प्राप्ति के दिन ही समय-सीमा 05 दिवस के भीतर है।

आवेदक द्वारा आपेक्षित जानकारी इस कार्यालय/लोक प्राधिकारी से संबंधित न होने के कारण आपको अंतरित की गई है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

संलग्न :- मूल आवेदन पत्र एवं 10 का स्टाम्प मूल प्रति

जन सूचना अधिकारी  
कार्यालय कलेक्टर

जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक / / 2021

पृ.क्रमांक /  
प्रतिलिपि:- / सू.का.अधि. / 2021

आवेदक श्री सुरेश कुमार तिवारी पिता श्री भैरव प्रसाद तिवारी ग्राम तागा तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0)



जन सूचना अधिकारी  
कार्यालय कलेक्टर  
जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Sh. Vikas Rao  
जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)  
07.04.2021.

प्रति ,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय

जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

विषय :- पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (तागा) में कुछ कामगारों  
(वर्करो) की भर्ति प्रक्रिया की जानकारी बाबत।

महोदय,


विनम्र निवेदन है कि मैं सुरेश कुमार तिवारी पिता श्री भैरव प्रसाद तिवारी ग्राम तागा तहसील अकलतरा जिला – जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) का निवासी हूँ। मेरे पिता जी का भूमि कम्पनी में अधिग्रहण किया गया है। फिर भी मुझे कम्पनी में कोई रोजगार नहीं दिया गया है।

इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे उक्त कम्पनी में भर्ति हुए कामगारों की जानकारी प्रदान करवाने का कष्ट करें।

1. कुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ति किस आधार पर कि गई है,
2. भूमि अधिग्रहित किसानों के घर के कितने लोगों को रोजगार दिया गया है,
3. भर्ति हुए लोगों के योग्यता के आधार पर मुझे सुची उपलब्ध कराने की कृपा करें ,
4. मुझे पावर ग्रिड तागा के मुख्य द्वारा पर सैनिकों के द्वारा रोक दिया जाता है, अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता मुझे कब-तक रोजगार मिल सकता है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद !

दिनांक 04/03/2021

  
प्रार्थी

सुरेश कुमार तिवारी  
पिता श्री भैरव प्रसाद तिवारी  
ग्राम तागा तहसील अकलतरा  
जिला – जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)  
मो.नं. 7566642055

4/3/2021

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत



INDIA

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

08AA 244313